फा.सं.14-1/2018-सीए-।।

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

(सीए-।। अनुभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

17 मई, 2018

सेवा में

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव
   (कृषि/बागवानी)
   आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़ीशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार।

2. कार्यान्वयन करने वाली सभी एजेंसियां

विषय : वर्ष 2018-19 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और ऑयल पाम) मुद्दे के कार्यान्वयन के बारे में।

महोदय

मुझे वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 29 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मु और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़ीशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राज्य योजना स्कीम-कृषोन्नति योजना के अंतर्गत **300.00 करोड़ रु. (तीन सौ करोड़ रु.) के केन्द्रीय हिस्से और केन्द्रीय एजेंसियों के लिए 100.00 करोड़ रु. (सौ करोड़ रु.) के परिव्यय** से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और ऑयलपाम) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन संप्रक्षेत करने का निदेश हुआ है।

राज्य योजना स्कीम	**सहायता का पैटर्न**	**केन्द्रीय हिस्से की राशि**
हरित क्रान्ति-कृषोन्नति योजना		**रूपए करोड़ में**
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और ऑयल पॉम)-राज्य	सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के औसत में केन्द्र और राज्यों के साझा पैटर्न सहित कार्यान्वित की जा रही है	300.00
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और ऑयल पॉम)-कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां	वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही है	100.00
कुल		**400.00**

2. एनएफएसएम (तिलहन और ऑयल पॉम) निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वित किया जाएगा :

(i) **एनएफएसएम (तिलहन)** : आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड।

(ii) **एनएफएसएम (ऑयल पॉम)** : आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, कर्नाटक, केरल, ओड़िशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल।

(iii) **एनएफएसएम (टीबीओ)** : आन्ध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीशगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

3. राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2017-18 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और समेकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अर्जित ब्याज सहित खर्चरहित बैलेंस, यदि कोई है, को को वर्ष 2018-19 के दौरान उपयोग किए जाने के लिए 01.04.2018 के स्थिति के अनुसार खर्चरहित बैलेंस की वास्तविक राशि को पुन: वैधीकृत करने हेतु विभाग को समर्थ बनाने और प्रथम किस्त जारी करने की प्रक्रिया हेतु अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रस्तुत करें।

4. राज्य/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के संबंध में वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर निर्णय कुल निधियों (बजट आंकलन 2018-19) की उपलब्धता जमा वर्ष 2017-18 में जारी की गई निधियों में से 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार खर्च रहित बैलेंस जमा वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान पर उपार्जित ब्याज के आधार पर लिया जाएगा। वार्षिक कार्य योजना (एएपी) 2018-19 में पूर्व वित्तीय वर्ष (अर्थात् 2017-18) को प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों के साथ अपूर्ण/स्पिल-ओवर क्रियाकलापों को भी शामिल किया जा सकता है।

5. वर्ष 2018-19 के दौरान एनएफएसएम (तिलहन और ऑयल पॉम) की राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 66.40 करोड़ रूपए और अनुसूचित जन जातियों के लिए 34.40 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई है। राज्य/स्कीम का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि विशेष घटक योजना (एससीपी) और अनुसूचित जाति उपयोजना (टीएसपी) के अंतर्गत तदनुसार सांविधिक आबंटन किए गए हैं।

6. 30 प्रतिशत बजटीय आबंटन महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए निर्धारित किया जाना है। संबंधित राज्य/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां इन घटकों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/महिला लाभार्थियों हेतु संसाधनों के आबंटन और उक्त के लिए डाटा बेस के रखरखाव के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगी। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) में लक्ष्य लाभार्थीवार सूचना शामिल की जानी चाहिए।

7. प्रशासनिक अनुमोदन अनन्तिम और रद्दोबदल/समायोजन के अध्यधीन है क्योंकि भारत सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम का कार्यानवयन करने का निर्णय ले सकती है। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को इस स्कीम के कार्यान्वयन के साथ-साथ वित्तीय नियमों और पद्धतियों, जैसा लागू किया जाए, से संबंधित विभिन्न दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।